# प्रथम सूचना रिपोर्ट
## (दण्ड प्रकिया सहिता धारा 154 के अन्तर्गत)

1. जिला भ्र.नि.ब्यूरो, बांसवाडा थाना सी.पी.एस. ए.सी.बी. जयपुर वर्ष, 2022
प्र.इ.रि.स.....87/22..... दिनांक .....11/3/2022

2. (i) अधिनियम पीसी एक्ट 1988 धारायें – धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम, 2018
(ii) अधिनियम भारतीय दण्ड संहिता – एवं 120बी भा.द.स.
(iii) अधिनियम – धारायें –
(iv) अन्य अधिनियम एवं धारायें –

3. (अ) रोमनामचा आम रपट संख्या .....227..... समय.....1.25 P.M.
(ब) अपराध के घटने का दिन व समय : गुरुवार दिनांक 10.03.2022 समय 10.00 एएम
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक : 09.03.2022

4. सूचना की किस्म : लिखित/मौखिक : लिखित

5. घटना स्थल :
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दुरी : दक्षिण दिशा दुरी लगभग 540 किलो मीटर
(ब) पता : कलेक्ट्रेट परिसर बांसवाडा।
.....बीट संख्या .....जरायमदेही संख्या.....
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थाना सी0पी0एस0 जयपुर जिला चौकी भ्रनिब्यूरो,बांसवाडा

6. परिवादी/सूचनाकर्ता :
(अ) नाम : – श्रीमती अन्जुम खान
(ब) पत्नी – श्री समीर खान
(स) जन्म तिथि/वर्ष – वयस्क
(द) राष्ट्रीयता : – भारतीय
(य) पासपोर्ट संख्या ..... –..... जारी होने की तिथि.....
जारी होने की जगह..... –.....
(र) व्यवसाय – व्यवसाय
(छ) पता – इन्द्रा कोलोनी पुलिस थाना कोतवाली जिला बांसवाडा।

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :
1. श्री सैयद आमीर अली पिता स्व. श्री सैयद महमूद अली उम्र 29 वर्ष जाति मुसलमान निवासी सी.–26 जवाहरनगर प्रतापगढ़ हाल डिप्टी जेलर जिला कारागृह बांसवाडा।
2. श्री अजहर अहमद पिता श्री जाहिद अहमद उम्र 33 वर्ष जाति मुसलमान निवासी इन्द्रा कोलोनी थाना कोतवाली जिला बांसवाडा पेशा वकील(प्राईवेट व्यक्ति)।

8. शिकायत/सूचना देने वाले द्वारा सूचना देरी में का कारण : कोई विलम्ब नहीं

9. चुराई हुई/संलप्ति सम्पति का विवरण (अगर आवश्यक हो तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)

10. चुराई हुई सम्पति का कुल मूल्य : – 20000/– रूपये

11. मर्ग सूचना/अप्राकृति मृत्यु केस नंबर यदि कोई हो तो :–

12. प्रथम सूचना रिपोर्ट की विषय वस्तु (मजमून)– आरोपीगण श्री सैयद आमीर अली डिप्टी जेलर जिला कारागृह बांसवाडा एवं श्री अजहर अहमद वकील(प्राईवेट व्यक्ति) ने आपस में मिलीभगत कर जेल बांसवाडा में बंद कैदी परिवादिया श्रीमती अन्जुम खान के पति समीर खान एवं परिचित जुनैद खान को जेल में मारपीट नही करने एवं जेल में कुछ काम नही करवानें तथा जेल में परिजनों को मिलाने के एवज में 30 हजार रुपये की रिश्वत मांग कर दिनांक 09.03.2022 को मांग सत्यापन के दौरान 10 हजार रुपये आरोपी श्री अजहर अहमद द्वारा ग्रहण करना तथा बकाया शेष रिश्वत राशि 20 हजार रुपये की मांग की पुष्टि होने पर दिनांक 10.03.2022 को ट्रेप कार्यवाही आयोजित की जाकर आरोपी श्री अजहर अहमद को 20 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया तथा कार्यवाही के दौरान आरोपी श्री सैयद आमीर अली को भी डिटेन कर बाद पुछताछ कर गिरफ्तार किया गया। आरोपीगण श्री सैयद आमीर अली डिप्टी जेलर जिला कारागृह बांसवाडा एवं श्री अजहर अहमद वकील(प्राईवेट व्यक्ति) के विरूद्व जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) एक्ट, 2018 व 120बी भा. द.स. का अपराध प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित है।

सेवामें,

श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
बांसवाडा।

विषय– रिश्वत मामले में पकड़वाने बाबत्।

महोदय्

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मेरे पति श्री समीर खान पिता श्री कालु खान व हमारे परिचित श्री जुनैद खान को दिनांक 02.03.2022 को अवैध हथियार के मामले में पुलिस चौकी सुरजपोज थाना कोतवाली के एएसआई श्री कल्याणसिंह व पुलिस जाप्ता द्वारा गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज किया गया। दिनांक 07.03.2022 को मेरे पति समीर खान व जुनैद को दिनांक 0703.2022 को जेल बांसवाडा में बंद करवाया गया। आज दिनांक 09.03.2022 को मैं व मेरी बहन तब्बु पत्नि श्री जावेद खान करीब 12 बजे दिन में मिलने गये तो जेल वालो ने मुझे व बहन को मिलने नही दिया फिर हमें वहां जानकारी मिलि की जेल के जेलर आमीर अली बिना पैसे दिया वहां जेल में किसी को मिलने नही देता है और रिश्वत राशि हेतु सीधी बात नही करके वकील अजहर पिता जाहिद के माध्यम से रिश्वत राशि लेता है। रिश्वत राशि के संबध में वार्तालाप भी अजहर वकील ही करता है जिस पर आज दिन अजहर वकील से मिले तो उसने कहा कि जेलर साहब आमीर अली से बात हो गयी है और कहा कि जेल में बंद मेरे पति समीर व जुनैद को किसी प्रकार की मारपीट जेल में नही करेगें व जेल में कोई काम भी नही करने देगें जिसके लिये जेलर साहब ने पहले तो 50 हजार रुपये मांगे थे पर मैने उनकों 30 हजार में राजी कर लिया है और रिश्वत राशि 30 हजार रुपये अभी देने है और राशि लेकर पुलिस थाना कोतवाली के आसपास बुलाया है। मैं जेलर साहब आमीर अली को 30 हजार रुपये अजहर वकील के माध्यम से नही देना चाहती हूं। आमीर जेलर व अजहर वकील के विरुद्ध आपके विभाग से पकड़वाने हेतु रिपोर्ट पेश कर रही कार्यवाही करें।

दिनांक 09.03.2022

प्रार्थीया
सही/–
अन्जुम खान पत्नि श्री समीर खान
निवासी इन्द्रा कोलोनी थाना कोतवाली
जिला बांसवाडा।
मो.नं. 8290587966

## कार्यवाही पुलिस

दिनांक 09.03.2022 समय 04.35 पीएम पर श्री पंकज कुमार कानि. को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा जरिये दूरभाष निर्देशित किया गया कि श्रीमती अन्जुम नामक महिला परिवादिया किसी को रिश्वत मामले में पकड़वाना चाहती है जो शीघ्र ही ब्यूरो कार्यालय बांसवाडा उपस्थित आयेगी जिससे नियमानुसार प्रार्थना पत्र प्राप्त कर रिश्वत मांग सत्यापन की कार्यवाही करें। समय 05.20 पीएम पर परिवादिया श्रीमती अन्जुम खान पति श्री समीर खान निवासी इन्द्राकोलोनी थाना कोतवाली जिला बांसवाडा ब्यूरो इकाई उपस्थित आई। परिवादिया द्वारा एक लिखित प्रार्थना पत्र श्री पंकज कुमार कानि. इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि "मेरे पति श्री समीर खान पिता श्री कालु खान व हमारे परिचित श्री जुनैद खान को दिनांक 02.03.2022 को अवैध हथियार के मामले में पुलिस चौकी सुरजपोज थाना कोतवाली के एएसआई श्री कल्याणसिंह व पुलिस जाप्ता द्वारा गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज किया गया दिनांक 07.03.2022 को मेरे पति समीर खान व जुनैद को दिनांक 0703.2022 को जेल बांसवाडा में बंद करवाया गया। आज दिनांक 09.03.2022 को मैं व मेरी बहन तब्बु पत्नि श्री जावेद खान करीब 12 बजे दिन में मिलने गये तो जेल वालो ने मुझे व बहन को मिलने नही दिया फिर हमें वहां जानकारी मिलि की जेल के जेलर आमीर अली बिना पैसे दिया वहां जेल में किसी को मिलने नही देता है और रिश्वत राशि हेतु सीधी बात नही करके वकील अजहर पिता जाहिद के माध्यम से रिश्वत राशि लेता है। रिश्वत राशि के संबध में वार्तालाप भी अजहर वकील ही करता है जिस पर आज दिन अजहर वकील से मिले तो उसने कहा कि जेलर साहब आमीर अली से बात हो गयी है और कहा कि जेल में बंद मेरे पति समीर व जुनैद को किसी प्रकार की मारपीट जेल में नही करेगें व जेल में कोई काम भी नही करने देगें जिसके लिये जेलर साहब ने पहले तो 50 हजार रुपये मांगे थे पर मैने उनकों 30 हजार में राजी कर लिया है और रिश्वत राशि 30 हजार रुपये अभी देने है और राशि लेकर पुलिस थाना कोतवाली के आसपास बुलाया है। मैं जेलर साहब आमीर अली को 30 हजार रुपये अजहर वकील के माध्यम से नही देना चाहती हूं। आमीर जेलर व अजहर वकील के विरुद्ध आपके विभाग से पकड़वाने हेतु रिपोर्ट पेश कर रही कार्यवाही करें।" परिवादिया द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के संबध में कानि. द्वारा आवश्यक जानकारी प्राप्त कर परिवादिया की जरिये मोबाईल मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय से वार्तालाप करायी गई। परिवादिया ने उक्त प्रार्थना अपनी स्वंय की हस्तलिपि में होना बताया गया। परिवादिया ने यह भी बताया कि वार्तालाप के समय मेरी बहन श्रीमती तब्बु भी मेरे साथ वार्तालाप के समय उपस्थित रहेगी आज अजहर से मिले थे तब भी मेरी बहन साथ में थी। जिस पर कानि ने कार्यालय की अलमारी में सुरक्षित रखे हुये डिजीटल टेप रिकोर्डर को निकालकर उसके संचालन की विधी से परिवादिया को मलीभांती अवगत कराया गया उसके रखरखाव के बारे में भी बताया गया तथा टेप रिकोर्डर सुपूर्द किया गया। समय 05.55 पीएम पर परिवादिया श्रीमती अन्जुम एवं श्री पंकज कुमार कानि. ब्यूरो कार्यालय से रिश्वत मांग सत्यापन हेतु रवाना होकर पुलिस थाना

कोतवाली के पास पहूंचे जहां पर आरोपी श्री अजहर उपस्थित आया जिनसे परिवादिया ने रिश्वत मांग संबधी वार्तालाप की गई वार्तालाप के दौरान परिवादिया की बहन श्रीमती तब्बु भी मौके पर उपस्थित आयीं जिसके द्वारा भी रिश्वत मांग संबधी वार्तालाप की गई। वार्तालाप के बाद परिवादिया श्रीमती अन्जुम व तब्बु स्कुटी से रवाना होकर पंकज कुमार कानि. के पास पहूंच कर टेप रिकोर्डर परिवादिया अन्जुम ने बंद हालात दिया जिसे कानि. द्वारा अपने पास सुरक्षित रख लिया। इसके बाद कानि. अपनी निजी मोटरसाईकल पर व परिवादिया व उसकी बहन स्कुटी से रवाना होकर समय 06.30 पीएम पर ब्यूरो इकाई बांसवाडा पहूंचे। परिवादिया श्रीमती अन्जुम ने कानि को बताया कि ब्यूरो इकाई बांसवाडा से रवानाशुदा पुलिस थाना कोतवाली की मुख्य रोड पर टेम्पो से उतरकर रोड़ के साईड में खड़ी रही कुछ समय बाद श्री अजहर व शारिक मो0 मोटरसाईकल पर आये और शारिक मो0 अजहर को मोटरसाईकल से उतारकर एक तरफ चला गया। श्री अजहर ने मुझसे रिश्वत संबधी वार्तालाप की गई तो उसके द्वारा 30 हजार रुपये रिश्वत के श्री सैयद आमीर अली जेलर साहब के लिये मांग की गई। वार्तालाप के दौरान ही मेरी बहन तब्बु भी स्कुटी लेकर वहां पर आ गयी उससे भी अजहर द्वारा रिश्वत की मांग की गई। वार्तालाप के दौरान श्री अजहर द्वारा जरिये मोबाईल जेलर साहब सैयद आमीर अली से भी वार्तालाप कर मेरे पति व परिचित जुनैद का नाम, पता पुछा और नाम, पता श्री शारिक मो0 को लिखने हेतु कहा गया। रिश्वत राशि मांग सत्यापन के दौरान अजहर द्वारा रिश्वत की मांग की गई तो मैने अपने पास से 500–500 के 20 नोट कुल 10 हजार रुपये रिश्वत के दे दिये और शेष रिश्वत राशि 20 हजार रुपये लेकर कल दिनांक 10.03.2022 को समय करीब 09–10 बजे के बीच कलेक्ट्रेट परिसर बांसवाडा में मिलने हेतु कहा है। परिवादिया श्रीमती अन्जुम व उसकी बहन तब्बु को सुरक्षित कमरे में बैठाया गया। समय 09.00 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक व ब्यूरो जाप्ता राजकार्य एसीबी कोर्ट उदयपुर गया हुआ हाजीर आया। श्री पंकज कुमार कानि. द्वारा परिवादिया का प्रार्थना पत्र मय रनिंग नोट प्रस्तुत कर सम्पूर्ण हालात अर्ज कर तथा टेप रिकोर्डर भी मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सुपूर्द किया गया। समय 09.15 पीएम पर ब्यूरो इकाई बांसवाडा पर उपस्थित परिवादिया श्रीमती अन्जुम से मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं रिश्वत मांग सत्यापन के संबध में पुछताछ की गई तो उसने बताया कि आज दिनांक 09.03.2022 को जेल में मेरे पति व परिचित जुनैद को मिलने हेतु गये तो वहां पर जेल में मिलने नही दिया और वहां पता चला कि डिप्टी जेलर साहब सैयद आमीर अली जेल में बंद कैदियो को मिलने, मारपीट नही करने व कोई काम नही कराने के एवज में श्री अजहर वकील के माध्यम से रिश्वत की मांग करते है, सैयद आमीर अली किसी से मिलते नही है और कोई बातचीत नही करते है। रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान 10 हजार रुपये अजहर ने सैयद आमीर अली के लिये ग्रहण कर लिये है शेष राशि 20 हजार रुपये कल दिनांक 10.03.2022 को देना तय हुआ है। परिवादिया के उक्त कथनो की ताईद उसकी बहन श्रीमती तब्बु द्वारा भी की गई। प्रकरण में आरोपी सैयद आमीर अली से रिश्वत मांग सत्यापन कराया जाना आवश्यक है परन्तु आरोपी सैयद आमीर अली डिप्टी जेलर द्वारा रिश्वत राशि स्वंय द्वारा नही मांग कर प्राईवेट व्यक्ति अजहर वकील के माध्यम से कर रहा है। रिश्वत मांग सत्यापन वार्तालाप से आरोपी श्री अजहर वकील द्वारा स्पष्ट रुप से सैयद आमीर अली हेतु रिश्वत की मांग की गई है। परिवादिया श्रीमती अन्जुम व तब्बु को कल दिनांक 10.03.2022 को सुबह 06.30 एएम पर ब्यूरो इकाई बांसवाडा पर रिश्वत राशि के 20 हजार रुपये के साथ उपस्थित आने की मुनासिब हिदायत के रुखसत किया गया। कल दिनांक 10.03.2022 को समय 06.30 एएम पर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही हेतु स्वतंत्र गवाहान की आवश्यकता होने से जरिये दूरभाष दो स्वतंत्र गवाहान भिजवाने हेतु श्रीमान अतिरिक्त जिला कलक्टर बांसवाडा को निवेदन किया गया।

दिनांक 10.03.2022 समय 06.30 एएम पर जरिये दूरभाष तलबिदाशुदा स्वतंत्र गवाहान श्री सुरेश गुप्ता पुत्र श्री कन्हैयालाल गुप्ता उम्र 55 वर्ष निवासी हाउसिंग बोर्ड कोलोनी बांसवाडा थाना कोतवाली हाल व्याख्याता राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बड़वी जिला बांसवाडा एवं श्री मनोज दोसी पिता श्री भगवतीलाल दोसी उम्र 59 वर्ष निवासी कालिका माता रोड़ रतनबाव की गली बांसवाडा थाना कोतवाली हाल वरिष्ठ अध्यापक, व्याख्याता राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बड़वी जिला बांसवाडा ब्यूरो इकाई, बांसवाडा में उपस्थित आये हैं। दोनो स्वतंत्र गवाहानों इस ट्रेप कार्यवाही में सम्मिलित होने बाबत् अपने मनतव्य से अवगत कराया तो दोनों ने ट्रेप कार्यवाही में बतौर स्वतन्त्र गवाह के रुप में उपस्थित रहने हेतु अपनी–अपनी मौखिक सहमति व्यक्त की। जिनको एक सुरक्षित कमरे में बैठाया गया। समय 06.45 एएम पर परिवादिया श्रीमती अन्जुम व उसकी बहन श्रीमती तब्बु ब्यूरो इकाई बांसवाडा पर उपस्थित आये। परिवादिया ने बताया कि रिश्वत राशि 20 हजार रुपये की व्यवस्था कर साथ लेकर आई हूं। कार्यालय में सुरक्षित बैठाये गये स्वतंत्र गवाहान श्री सुरेश गुप्ता व श्री मनोज दोसी को बुलाकर परिवादिया श्रीमती अन्जुम व श्रीमती तब्बु का आपस में परिचय कराया जाकर परिवादिया द्वारा पेश रिपोर्ट को पढकर सुनाई गई तो स्वतंत्र गवाह के समक्ष ही परिवादिया श्रीमती अन्जुम ने शब्द व शब्द सही होना स्वीकार किया। उक्त रिपोर्ट पर दोनों स्वतन्त्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 07.10 एएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा डिजिटल टेप रिकार्डर में कल दिनांक 09.03.2022 को परिवादिया अन्जुम व तब्बु व आरोपी अजहर वकील के बीच हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्तालाप टेप रिकोर्डर में रिकोर्ड हैं। डिजीटल टेप रिकार्डर को कार्यालय के कम्प्यूटर से कनेक्ट करा मूल एवं डब सीडीयां तैयार कराई गई। मूल सीडी को परिवादी व स्वतंत्र गवाहान के समक्ष सुना जाकर श्री पंकज कुमार कानि0 से फर्द ट्रांसकिप्ट मुर्तिब कराई जाकर फर्द पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। मूल सीडी को एक कपडे की थैली में डालकर थैली पर एक कागज की चीट लगाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर सीडी को नियमानुसार सील्ड की गई। समय 08.30 एएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा आरोपी श्री सैयद आमीर अली के लिये आरोपी श्री अजहर को रिश्वत में दी जाने वाली राशि परिवादिया श्रीमती अन्जुम से मांगने पर उसने उपरोक्त स्वतंत्र गवाहों के समक्ष अपने पास से 500–500 रूपये के 40 नोट कुल 20,000 रूपये भारतीय चलन मुद्रा के प्रस्तुत किए। उपरोक्त समस्त नोटो के नम्बर निम्नानुसार हैं :–

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 500 रूपये का एक नोट नम्बर | 1 EA | 506705 |
| 2 | 500 रूपये का एक नोट नम्बर | 9 VE | 531191 |
| 3 | 500 रूपये का एक नोट नम्बर | 4 UQ | 922288 |
| 4 | 500 रूपये का एक नोट नम्बर | 1 PN | 895492 |
| 5 | 500 रूपये का एक नोट नम्बर | 8 AD | 392568 |
| 6 | 500 रूपये का एक नोट नम्बर | 1 DT | 756605 |
| 7 | 500 रूपये का एक नोट नम्बर | 4 GS | 140694 |
| 8 | 500 रूपये का एक नोट नम्बर | 9 SK | 774926 |
| 9 | 500 रूपये का एक नोट नम्बर | 7 FQ | 673400 |
| 10 | 500 रूपये का एक नोट नम्बर | 8 HF | 915716 |
| 11 | 500 रूपये का एक नोट नम्बर | 1 PC | 503497 |
| 12 | 500 रूपये का एक नोट नम्बर | 2 BS | 596754 |
| 13 | 500 रूपये का एक नोट नम्बर | 0 GL | 907064 |
| 14 | 500 रूपये का एक नोट नम्बर | 1FL | 433256 |
| 15 | 500 रूपये का एक नोट नम्बर | 2 LT | 354701 |
| 16 | 500 रूपये का एक नोट नम्बर | 0 UQ | 152274 |
| 17 | 500 रूपये का एक नोट नम्बर | 3 EF | 881289 |
| 18 | 500 रूपये का एक नोट नम्बर | 2 AF | 534093 |
| 19 | 500 रूपये का एक नोट नम्बर | 7 AE | 912007 |
| 20 | 500 रूपये का एक नोट नम्बर | 6 CH | 849247 |
| 21 | 500 रूपये का एक नोट नम्बर | 1 KL | 399265 |
| 22 | 500 रूपये का एक नोट नम्बर | 5 VW | 323179 |
| 23 | 500 रूपये का एक नोट नम्बर | 9 HH | 399062 |
| 24 | 500 रूपये का एक नोट नम्बर | 1 PS | 213746 |
| 25 | 500 रूपये का एक नोट नम्बर | 7 EA | 569952 |
| 26 | 500 रूपये का एक नोट नम्बर | 7 FS | 858823 |
| 27 | 500 रूपये का एक नोट नम्बर | 2 FQ | 166782 |
| 28 | 500 रूपये का एक नोट नम्बर | 4 DQ | 403481 |
| 29 | 500 रूपये का एक नोट नम्बर | 5 SD | 360713 |
| 30 | 500 रूपये का एक नोट नम्बर | 4 HF | 222357 |
| 31 | 500 रूपये का एक नोट नम्बर | 3 FQ | 993527 |
| 32 | 500 रूपये का एक नोट नम्बर | 0 DF | 334426 |
| 33 | 500 रूपये का एक नोट नम्बर | 7NT | 547880 |
| 34 | 500 रूपये का एक नोट नम्बर | 0 RB | 695962 |
| 35 | 500 रूपये का एक नोट नम्बर | 5 BN | 843503 |
| 36 | 500 रूपये का एक नोट नम्बर | 7 FB | 102618 |
| 37 | 500 रूपये का एक नोट नम्बर | 9 TS | 238720 |
| 38 | 500 रूपये का एक नोट नम्बर | 9 LR | 894651 |
| 39 | 500 रूपये का एक नोट नम्बर | 8 HH | 056291 |
| 40 | 500 रूपये का एक नोट नम्बर | 5 PH | 008418 |

मालखाने से फिनॉफ्थेलीन की शिशी श्री गणेशप्रसाद हैड0 कानि0 के निकलवाई जाकर फिनॉफ्थेलीन पाउडर को उपरोक्त समस्त नोटों के दोनों और लगवाया जाकर नोटो को परिवादिया श्रीमती अन्जुम की लेडिज पर्स में कोई वस्तु नहीं छोडते हुये रखवाये गये तत्पश्चात् श्री माजिद कानि0 से एक साफ कॉच के गिलास में साफ पानी भरवाकर मंगवाया जाकर इसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवा कर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग नही बदला। इस रंगहीन घोल में श्री गणेशप्रसाद हैड0 कानि0 की दोनों हाथों की अंगुलियों व अंगुठे को डुबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रकार परिवादिया तथा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष फिनॉफ्थेलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रतिकिया प्रदर्शित कर बताई एवं उसके मन्तव्य से अवगत कराते हुए बताया कि यदि आरोपी परिवादिया से रिश्वती राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण करेगा तो नोटों पर लगा फिनॉफ्थेलीन पाउडर उसके हाथों की अंगुलियों व अंगुठे पर लग जाएगा तथा सोडियम कार्बोनेट के घोल में आरोपी के हाथ धुलवाने पर घोल का रंग गुलाबी हो जायेगा, जिससे यह प्रमाणित होगा कि आरोपी ने रिश्वती राशि मांगकर अपने हाथों से ग्रहण की हैं। उक्त गुलाबी घोल को श्री गणेशप्रसाद हैड0 कानि0 से कार्यालय के बाहर फिकवाया गया तथा उपरोक्त कांच के गिलास को साफ पानी व साबुन से धुलवाये गए। श्री गणेशप्रसाद हैड0 कानि0 एवं श्री माजिद कानि0 के दोनों हाथ साफ पानी व साबुन से अच्छी तरह धुलवाये गये। तत्पश्चात् परिवादिया को यह भी हिदायत दी गई कि वह आरोपी के द्वारा रिश्वती राशि मांगने पर ही उसे देवे तथा रिश्वती राशि देने से पूर्व या देने के बाद उससे हाथ नही मिलावे तथा न ही उसके शरीर के किसी अंग को छुए। यदि अभिवादन की आवश्यकता हो तो दूर से हाथ जोडकर अभिवादन

करें। परिवादिया को यह भी हिदायत दी गई कि रिश्वती राशि देते समय जल्दबाजी व घबराहट का प्रदर्शन न करें, तथा रिश्वती राशि दे दिये जाने के बाद अपने सिर हाथ फैर कर या अपने मोबाईल नम्बर से मन् अति0 पुलिस अधीक्षक के मोबाईल नम्बर पर मिस कॉल करके आरोपी को रिश्वत राशि दिये जाने का ईशारा करें। यह निर्धारित इशारा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों को समझाया गया। फिनोफथलीन पाउडर की शिशी को सुरक्षित मालखाने में रखा गया। ट्रेप कार्यवाही में प्रयुक्त होने वाली कांच की शीशीयॉ, गिलास, ढक्कन, चम्मच इत्यादि को श्री माजिद कानि0 से साफ पानी व साबुन से अच्छी तरह धुलवाये जाकर ट्रेप बाक्स में रखवाये गये। तत्पश्चात् गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सदस्यों को यह भी हिदायत दी गई कि यथासंभव अपनी–अपनी उपस्थिति को छिपाते हुए परिवादिया तथा आरोपी के मध्य रिश्वती राशि के लेन–देन को देखने व सुनने का प्रयास करें। समय 09.00 एएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादिया श्रीमती अन्जुम को आरोपी अजहर वकील को दी जाने वाली रिश्वत राशि लेन–देन के वक्त होने वाली वार्ता को रिकोर्ड करने हेतु मिनी डिजीटल टेप रिकोर्डर उसके संचालन की विधि समझायी जाकर जरिये फर्द सुपूर्द किया गया। समय 09.05 एएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक व स्वतंत्र गवाहान श्री सुरेश गुप्ता, श्री मनोज दोसी व श्री माजिद खां कानि0, मय ट्रेप बाक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर व आवश्यक संसाधन के प्राईवेट वाहन एवं ब्यूरो जाप्ता श्री पंकज कुमार कानि. व श्री महेश कानि. निजी मोटरसाईकल तथा परिवादिया अन्जुम व तब्बु को उनकी निजी स्कुटी से ब्यूरो इकाई, बांसवाडा से कलेक्ट्रेट परिसर बांसवाडा के लिए रवाना हुए तथा श्री जितेन्द्रसिंह कानि. चालक एवं श्री धीरेन्द्रसिंह कानि. को निजी मोटरसाईकल पर मुनासिब हिदायत के जिला काराग्रह बांसवाडा हेतु रवाना किया गया। समय 09.10 एएम पर मन् अति0 पुलिस अधीक्षक, दोनों स्वतंत्र गवाहान व ब्यूरो जाप्ता व परिवादियागण के अपने–अपने वाहनों से जिला कलक्टर कार्यालय परिसर में पहूंच कर वाहनों को साईड में खडाकर परिवादियागण को मुनासिब हिदायत देकर आरोपी श्री अजहर वकील के इन्तजार में परिवादिया के आसपास अपनी उपस्थिति छुपाकर मूकिम हुए। करीब 15 मिनट बाद एक व्यक्ति मोटरसाईकल लेकर परिवादिया के पास आकर रुका व वार्तालाप करने लगा करीब 20 मिनट तक वार्तालाप करने के बाद परिवादिया अन्जुम व तब्बु एवं वह व्यक्ति कलक्टर परिसर बासंवाडा के अटल सेवा केन्द्र के पास स्थित एक कमरे के पास पहूंचकर वार्तालाप कर रहे थे कि एक अन्य व्यक्ति मोटरसाईकल से आया और परिवादियागण से वार्तालाप कर परिवादिया अन्जुम व तब्बु के साथ उस कमरे में प्रवेश किया। पूर्व में परिवादियागण से मिला व्यक्ति भी उनके पीछे पीछे उस कमरे के गेट के पास खडा हो गया। समय 10.00 एएम पर परिवादिया श्रीमती अन्जुम व श्रीमती तब्बु एवं वह दोनो व्यक्ति उक्त कमरे से बाहर आने लगे कि परिवादिया श्रीमती अन्जुम खान द्वारा रिश्वत राशि ग्रहण करने बाबत् पूर्व निर्धारित ईशारा किया, जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस मय दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं ट्रेप पार्टी के सदस्यगण तेज–तेज कदमों से चलकर परिवादिया के पास पहूंचे तो परिवादिया ने एक व्यक्ति जो मोटरसाईकल को चालू कर जाने की स्थिति में था की ओर ईशारा करके बताया कि यही अजहर वकील है जिन्होंने रिश्वत राशि अपने हाथों से ग्रहण कर एक सफेद लिफाफे में रखकर पेन्ट दाहिनी जेब में रख दिये है। जिस पर उक्त व्यक्ति को मेरे निर्देश पर ब्यूरोकर्मियों द्वारा रोक लिया। इसी दौरान परिवादिया ने बंद हालात में डिजीटल टेप रिकोर्डर पेश किया जिसे अपने पास सुरक्षित रखते हुए उस व्यक्ति को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने हमराहियानो का परिचय देते हुए अपने मन्तव्य से अवगत् करा उससे नाम, पता पुछा तो उसने अपना नाम अजहर अहमद पुत्र जाहिद अहमद निवासी इन्द्रा कोलोनी थाना कोतवाली बांसवाडा पेशा वकील होना बताया तथा अजहर अहमद के अलावा एक अन्य व्यक्ति भी कार्यवाही के दौरान परिवादियागण श्रीमती अन्जुम व तब्बु से बातचीत कर रहा था और रिश्वत राशि ग्रहण करने के समय भी साथ उपस्थित रहा है जो मौके पर उपस्थित है उस व्यक्ति से भी नाम, पता पूछा तो उसने अपना नाम शारिक मोहम्मद पिता शाहिद मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी पृथ्वीगंज थाना कोतवाली जिला बांसवाडा पेशा प्रशिक्षु वकील होना बताया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री अजहर अहमद को परिवादिया अन्जुम से 20 हजार रुपये अभी अभी किस बात के ग्रहण करने बाबत् पुछा तो श्री अजहर ने बताया कि मैने कोई रिश्वत राशि नही ली है मैने तो उसके पति समीर व अन्य जुनैद जो अभी जेल में बंद है जिनकी हाईकोर्ट से जमानत हेतु फीस की राशि ली है, मैने कोई रिश्वत राशि नही ली है। मौके पर उपस्थित परिवादिया श्रीमती अन्जुम ने बताया कि मैने अपने पति व परिचित जुनैद के हाईकोर्ट से जमानत हेतु नही कहा गया है और ना ही इस बारे में कोई बात हुई थी। श्री अजहर अहमद झूठ बोलकर यह बात अपने बचाव के लिये बता रहा है। मौके पर श्री अजहर अहमद को श्री सैयद आमीर अली डिप्टी जेलर से उक्त रिश्वत राशि के संबध में वर्तालाप हेतु कहा तो अजहर अहमद द्वारा वार्तालाप करने से मना कर दिया। घटना स्थल जिला कलेक्ट्रेट बांसवाडा परिसर है, आम लोग एवं सरकारी अधिकारी/कर्मचारी का आवागमन भी शुरु हो गया है। गवाह श्री सुरेश गुप्ता से अजहर अहमद की पहनी हुई पेन्ट की दाहिनी जेब की तलाशी लिवाई गई तो जेब में एक सफेद लिफाफा जिस पर एडवोकेट अजहर अहमद का नाम प्रिन्टेड है जिसको गवाहों से खुलवाकर देखा गया तो उसमें 500–500 के रुपये नोट बरामद हुए, जिनकों गवाहानों से गिनवाया गया तो कुल 30 हजार रुपये पाये गये। उन नोटों का नम्बरों का मिलान पूर्व में मूर्तिब की गई फर्द पेशकशी व सुपूर्दगी नोट से कराया गया तो 500–500 रुपये के 40 नोट कुल 20,000 रुपये हूबहु हुए तथा 500–500 रुपये के 20 नोट कुल 10 हजार रुपये भी पाये गये। बरामद अन्य राशि 500–500 रुपये के 20 नोट कुल 10,000 हजार रुपये जिनके नम्बर निम्नानुसार है:–

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | 500 रुपये का एक नोट नम्बर | 2NL | 618694 |
| 2. | 500 रुपये का एक नोट नम्बर | 8EV | 469793 |
| 3. | 500 रुपये का एक नोट नम्बर | 1CH | 367692 |
| 4. | 500 रुपये का एक नोट नम्बर | 5FQ | 568992 |
| 5. | 500 रुपये का एक नोट नम्बर | 0DF | 158249 |
| 6. | 500 रुपये का एक नोट नम्बर | 7EM | 524922 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7. | 500 रुपये का एक नोट नम्बर | 6SQ | 317092 |
| 8. | 500 रुपये का एक नोट नम्बर | 2ND | 596215 |
| 9. | 500 रुपये का एक नोट नम्बर | 7PQ | 315740 |
| 10. | 500 रुपये का एक नोट नम्बर | 3KN | 703284 |
| 11. | 500 रुपये का एक नोट नम्बर | 4AD | 217312 |
| 12. | 500 रुपये का एक नोट नम्बर | 3GS | 317128 |
| 13. | 500 रुपये का एक नोट नम्बर | 4NR | 407903 |
| 14. | 500 रुपये का एक नोट नम्बर | 0FF | 546110 |
| 15. | 500 रुपये का एक नोट नम्बर | 8DA | 028015 |
| 16. | 500 रुपये का एक नोट नम्बर | 9RM | 310388 |
| 17. | 500 रुपये का एक नोट नम्बर | 6CP | 533331 |
| 18. | 500 रुपये का एक नोट नम्बर | 4CB | 046256 |
| 19. | 500 रुपये का एक नोट नम्बर | 5EG | 059634 |
| 20. | 500 रुपये का एक नोट नम्बर | 7BB | 864701 |

बरामद रिश्वत राशि 20 हजार एवं अन्य बरामद राशि 10 हजार रुपये एवं लिफाफा को गवाह श्री सुरेश गुप्ता को संभलवाया गया। मौके पर ब्यूरो की कार्यवाही से भीड़भाड़ होने लगी है, जो ट्रेप की अग्रिम कार्यवाही ब्यूरो इकाई बांसवाडा पहूंच कर किया जाना उचित रहेगा। श्री अजहर अहमद के दोनो हाथों को ब्यूरो जाप्ता श्री पंकज कुमार व श्री महेश कुमार कानि. से कलाई से उपर सुरक्षित पकड़वाया जाकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक व दोनो स्वंतत्र गवाह ब्यूरो जाप्ता, श्री शारिक मोहम्मद व परिवादियागण श्रीमती अन्जूम एवं श्रीमती तब्बु के अपने अपने वाहनों से जिला कलेक्ट्रेट परिसर बासंवाडा से ब्यूरो ईकाई बांसवाडा पहूंचे। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री अजहर अहमद को श्री सैयद आमीर अली डिप्टी जेलर से जरिये मोबाईल रिश्वत राशि ग्रहण वार्तालाप हेतु पुनः कहा गया तो भी उसने मोबाईल से वार्तालाप करने से मना कर दिया। श्री अजहर पेशे से वकील है जिस कारण कानून की जानकारी रखता है जिस कारण मोबाईल से वार्ता नही कर रहा है। ट्रेप बाक्स को श्री माजिद कानि0 से मंगवाया जाकर ट्रेप बाक्स में रखे दो साफ कांच के गिलासों में ब्यूरो कार्यालय से पीने वाले साफ पानी को भरवाया जाकर उन दोनों कांच के गिलासों में एक–एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। एक रंगहीन घोल में आरोपी श्री अजहर अहमद के दाहिने हाथ की अंगुलियो व अंगुठे को डुबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग गुलाबी हुआ। उक्त घोल को कांच की दो साफ शीशीयों में आधा–आधा भरवाया जाकर सीलचीट बंद करा मार्क आर.एच. –1, आर.एच.–2 अंकित करा चीट पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसी प्रकार दूसरे रंगहीन घोल में आरोपी श्री अजहर अहमद के बांये हाथ की अंगुलियो व अंगुठे को डुबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग गुलाबी हुआ। उक्त घोल को कांच की दो साफ शीशीयों में आधा–आधा भरवाया जाकर सीलचीट बंद करा मार्क एल.एच. –1, एल.एच.–2 अंकित करा चीट पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। ट्रेप कार्यवाही के दौरान आरोपी श्री अजहर अहमद के द्वारा रिश्वती राशि ग्रहण कर एक सफेद रंग के लिफाफे में रखकर अपनी पहनी हुई पेन्ट की दांहिनी जैब में रखे हुये बरामद हुए हैं। अतः पेन्ट की दांहिनी जैब का धोवन लिया जाना आवश्यक हैं, आरोपी के पहनने हेतु एक पेन्ट उपलब्ध कराई गई। आरोपी श्री अजहर अहमद की पहनी हुई पेन्ट को ससम्मान उतरवाई जाकर दुसरी पेन्ट पहनाया गया। तत्पश्चात् श्री माजिद खान कानि0 से एक साफ कांच के गिलास में साफ पानी भरवाया जाकर इसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। इस रंगहीन घोल में पेन्ट की दांहिनी जेब को उलटवाकर उक्त घोल में डुबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग मटमैला हुआ। उक्त घोल को कांच की दो साफ शीशीयों में आधा–आधा भरवाया जाकर सीलचीट बन्द करा मार्क पी–1 एवं पी–2 अंकित करा चीट पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। पेन्ट को सुखाकर जैब पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा पेन्ट किम कलर का हैं, जिसे एक सफेद कपडे की थैली में डालकर सीलचीट किया जाकर मार्क पी अंकित कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। मौके पर बरामद रिश्वत राशि 20 हजार रुपये व अन्य राशि 10 हजार व लिफाफे को गवाह श्री सुरेश गुप्ता को संभलवाई गयी थी जिसे प्राप्त की जाकर रिश्वत राशि 20 हजार व अन्य राशि 10 हजार रुपये को पृथक–पृथक कागज की चीट लगायी जाकर चीट पर संबधितों के हस्ताक्षर कर सीलचीट किया गया। बरामद रिश्वत राशि 20 हजार एवं अन्य राशि 10 हजार रुपये, जो एक सफेद लिफाफे जिस पर आरोपी श्री अजहर अहमद(एम.ए, एलएलबी) प्रिन्टेट किया हुआ है में से बरामद हुए थे। जिसका धोवन लेना आवश्यक होने से एक साफ कांच के गिलास में साफ पानी भरवाया जाकर इसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। एक साफ रुई के टुकड़े को साफ पानी में भिगोकर उक्त लिफाफे के अन्दर घुमाया जाकर रुई को उक्त रंगहीन घोल में डूबोया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। उक्त घोल को कांच की दो साफ शीशीयों में आधा–आधा भरवाया जाकर सीलचीट बन्द करा मार्क एल–1 एवं एल–2 अंकित करा चीट पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा लिफाफे पर संबधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामील कार्यवाही किया गया। ट्रेप कार्यवाही के दौरान लिये गये आरोपी श्री अजहर अहमद के दोनों हाथो के धोवन, पेन्ट की जैब के धोवन, लिफाफे का घोवन, पेन्ट के पेकेट व रिश्वत राशि 20,000 रूपये व अन्य राशि 10,000 रुपये को सुरक्षित ट्रेप बाक्स मे रखवाया जाकर श्री माजिद खान कानि. को सुपुर्द किया गया। प्रकरण में रिश्वत मांग सत्यापन वार्तालाप से श्री अजहर अहमद द्वारा स्पष्ट रुप से रिश्वत की मांग परिवादियागण श्रीमती अन्जुम व तब्बु से श्री सैयद आमीर अली डिप्टी जेलर हेतु ही की गई है। जिस संबध में श्री सैयद आमीर अली से पुछताछ की जानी आवश्यक है। आरोपी श्री अजहर अहमद की निगरानी हेतु श्री महेश कुमार कानि. को पाबंद कर मुनासिब हिदायत दी गई। तत्पश्चात् मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक व

ब्यूरो जाप्ता के ब्यूरो इकाई से जिला कारागृह बांसवाडा के लिये रवाना होकर जिला कारागृह बांसवाडा पहूंचा जहां पर पूर्व से पाबंदशुदा ब्यूरो जाप्ता श्री जितेन्द्रसिंह कानि.चालक एवं श्री धीरेन्द्रसिंह कानि. उपस्थित मिले। कारगृह में श्री सैयद आमीर अली डिप्टी जेलर के संबध में मालूमात की गई तो वह जेल में अपने कार्यालय में उपस्थित है जिसे बाहर बुलाकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अपना परिचय देते हुए की गई ट्रेप कार्यवाही के बारे में अवगत् कराते हुए प्रकरण में पुछताछ वांछित होने से श्री सैयद आमीर अली को हमराह लेकर ब्यूरों इकाई बांसवाडा पहूंचा। प्रकरण में आरोपी अजहर अहमद ने 20 हजार रुपये रिश्वत राशि के नही होकर परिवादिया श्रीमती अन्जुम के पति समीर खान एवं परिचित जुनैद खान के हाईकोर्ट से जमानत हेतु लेना बताया गया। मौके पर उपस्थित परिवादिया श्रीमती अन्जुम ने बताया कि दिनांक 02.03.2022 को पुलिस थाना कोतवाली जिला बांसवाडा द्वारा अवैध हथियार के मामले में मेरे पति श्री समीर खान व परिचित जुनैद को गिरफ्तार कर पीसी रिमाण्ड के बाद दिनांक 07.03.2022 को पुलिस थाना कोतवाली द्वारा जिला काराग्रह बांसवाडा में बंद कराया था। कल दिनांक 09.03.2022 को मैं व मेरी बहन तब्बु जिला काराग्रह बांसवाडा में बंद मेरे पति व परिचित जुनैद को मिलने हेतु गये तो जेल में मिलने नही दिया तथा वहां जानकारी दी गई कि डिप्टी जेलर साहब श्री सैयद आमीर अली जेल में बंद कैदी को मिलने एवं जेल में मारपीट नही करने तथा काम नही कराने के एवज में रुपये श्री अजहर अहमद वकील के माध्यम से लेते है और वो डिप्टी जेलर साहब की रिश्वत हेतु दलाली का काम करता है। जेल में हमें डिप्टी जेलर साहब ने मिलने से मना किया तथा वहां हमें जानकारी मिलि की आमीर अली सीधें किसी से नही मिलते है व कोई बात नही करते है तथा अजहर ही बात करता है। फिर मैंने व तब्बु ने श्री अजहर अहमद से सम्पर्क किया व मोबाईल से वॉट्सअप कॉल पर बातचीत भी की गई तो अजहर अहमद ने जेलर आमीर अली से बात करके बताने का कहा कि 50 हजार रुपये से कम रुपये वो नही लेगे फिर भी बात करता हूं फिर वापस अजहर अहमद से सम्पर्क किया तो कहा कि वो आमीर अली 50 हजार रुपये का कह रहे थे मैने कम कराकर 30 हजार की बात की है। श्री अजहर अहमद ने मेरे पति व परिचित श्री जुनैद को जेल में मारपीट नही करने व जेल में मिलाने हेतु व कोई काम नही कराने के एवज में 30 हजार रुपये रिश्वत देना तय किया गया। आपके कार्यालय में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान पुलिस थाना कोतवाली के पास अग्रिम रिश्वत राशि 500–500 रुपये के 20 नोट कुल 10 हजार रुपये ग्रहण किये थे और शेष रिश्वत राशि 20 हजार रुपये श्री सैयद आमीर अली डिप्टी जेलर साहब को देने हेतु आज देना तय हुआ था, जो उनकी मांग अनुसार आज दिये है। कल रिश्वत मांग सत्यापन के समय श्री अजहर ने अपने मोबाईल से डिप्टी जेलर साहब श्री सैयद आमीर अली के मोबाईल पर जरिये वॉटसअप वार्तालाप कर मिलने हेतु कहा और मेरे पति व परिचित जुनैद के नाम, पते लिखे और 10 हजार रुपये रिश्वत राशि ग्रहण कर उनको देने जाने बाबत् कहा था और रिश्वत राशि 10 हजार रुपये ग्रहण करने के बाद शारिक मोहम्मद की मोटरसाईकल पर बैठकर गये थे। आज रिश्वत लेनदेन के वक्त भी श्री शारिक मोहम्मद भी उपस्थित था लेकिन शारिक ने कल व आज रिश्वत मांग व लेनदेन के बारे में उसे कोई जानकारी नही थी। रिश्वत लेनदेन वार्ता में भी श्री अजहर द्वारा रिश्वत राशि 20 हजार रुपये ग्रहण करते समय पूर्व के 10 हजार रुपये व 20 हजार रुपये एक सफेद लिफाफे में रखना तथा वार्तालाप में भी आजकल रुपये लिफाफे में लेने पड़े लोग डायेरेक्ट नही लेते है। परिवादिया श्रीमती अन्जुम ने पुनः बताया कि श्री अजहर अहमद वकील होने का फायदा उठाकर अपने बचाव में झूठ बोलकर मेरे पति व परिचित जुनैद की हाईकोर्ट से जमानत कराने हेतु राशि लेना बता रहा है। इस पर श्री अजहर अहमद चुप हो गया कुछ नही बोला। परिवादिया श्रीमती तब्बु ने भी परिवादिया श्रीमती अन्जुम के कथनों की ताईद की। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री शारिक मोहम्मद से पुछताछ की गई तो शारिक मोहम्मद ने बताया कि मैं और अजहर अहमद दोस्त भी है एवं पेशे से वकील भी है जिस कारण कभी कभार साथ रहता हूं। कल दिनांक 09.03.2022 को सायकाल करीब 05.30 पीएम पर श्री अजहर के पास मोटरसाईकल नही होने से मुझे कोतवाली के पास छोड़ने हेतु कहा था जिस पर मैने उसको मोटरसाईकल से वहां छोड़ा था उसके बाद में वहां से कोई काम के लिये चला गया फिर अजहर का फोन आया तो मैं लेने हेतु वापस उसी जगह पर गया तो वहां पर अजहर, अन्जुम व तब्बु आपस में वार्तालाप कर रहे थे और मुझसे जेल में बंद अन्जुम के पति समीर व जुनैद खान का नाम, पता लिखने हेतु मुझे अजहर ने कहा था। इसके बाद अजहर ने कहा कि जेलर आमीर अली से मिलना है मेरे पास साधन नही है आप साथ चलो तब वहां से रवाना होकर जिला काराग्रह बांसवाडा गये वहां अजहर अहमद ने डिप्टी जेलर सैयद आमीर अली से मुलाकात कर गले मिले फिर उन दोनो ने आपस में कुछ वार्तालाप कर जेल से अपने घर चले गये। इनके मुलाकात के समय मैं मोटरसाईकल पर ही बैठा हुआ था पास में नही गया था। अजहर व जेलर साहब ने आपस में क्या बात की मैने नही सुनी ना ही मुझे अजहर ने बताई थी। आज सुबह करीब 09.15 एएम पर जिला कलेक्टर परिसर कोर्ट में आया था जहां पर अन्जुम और तब्बु भी मिले थे तो जिनसे मैने सामान्य बातचीत की और अजहर थोड़ी देर में कलेक्ट्रेट परिसर कोर्ट में आने की जानकारी बताई थी। अजहर आया तथा उसने जिला कलक्ट्रेट परिसर में अटल सेवा केन्द्र के पास स्थित एक कमरे में अन्जुम व तब्बु को चलने को कहा और वो तीनों कमरे में गये तो मैं भी पीछे–पीछे कमरे के पास गेट पर खड़ा रहा। वहां पर अजहर एवं अन्जुम व तब्बु ने कोई पैसों के मामले में वार्तालाप की और मेरे सामने ही अन्जुम ने 500–500 रुपये के नोट कुल 20 हजार रुपये निकालकर अजहर को दिये उसे अजहर ने दोनो हाथों से गिनकर एक सफेद लिफाफे में रखकर उसने अपनी पहनी हुई पेन्ट की जेब में रख दिये। इसके बाद हम सभी उस कमरे से बाहर आ गये और आप सभी लोगों ने अजहर व मुझे रोक लिया। यह राशि अजहर ने किस को देने व किस लिये है मुझे कोई जानकारी नही है। परिवादिया श्रीमती अन्जुम व तब्बु ने भी शारिक की बात का समर्थन कर इस रिश्वत राशि मांग व ग्रहण के बारे में श्री शारिक मोहम्मद को कोई जानकारी नही होना बताया व रिश्वत राशि मांग व ग्रहण बाबत् वार्तालाप श्री अजहर अहमद को ही जानकारी होने के बारे में बताया। प्रकरण में आरोपी श्री सैयद आमीर अली से परिवादिया श्रीमती अन्जुम से उसके पति श्री समीर खान व परिचित श्री जुनैद को जिला काराग्रह बांसवाडा में बंद होने से

उनकों मारपीट नही करने व जेल में परिजन से मिलाने तथा कामकाज नही कराने की एवज में श्री अजहर अहमद से 30 हजार रुपये रिश्वत मांगने के बारे में पूछा तो आरोपी श्री सैयद आमीर अली ने इस रिश्वत मांग व ग्रहण के बारे में कोई जानकारी नही होना बताया। प्रकरण में कल दिनांक 09.03.2022 को रिश्वत मांग सत्यापन के समय आरोपी श्री अजहर अहमद ने श्री सैयद आमीर अली से जरिये मोबाईल पर वॉटसअप से वार्तालाप की गई है। आरोपीगण के मोबाईल प्राप्त किये गये। आरोपी श्री अजहर अहमद के वीवो कम्पनी का मोबाईल नम्बर जिसमें दो सिमकार्ड है जिनके नम्बर 9414107981(बीएसएनएल) व 8005990519 (जीओ) है तथा सिम नम्बर 9414107981(बीएसएनएल) पर श्री अजहर द्वारा वॉटसअप चलाया जाता है। श्री सैयद आमीर अली के एप्पल कम्पनी 12 प्रो मैक्स मोबाईल एक ही सिम कार्ड नम्बर 8955228156(एयरटेल) है जिस पर वॉट्सअप चलाया जाता है। आरोपी श्री अजहर अहमद के मोबाईल नम्बर 9414107981 (बीएसएनएल) एवं मोबाईल नम्बर 8005990519 (जीओ) की कॉल चेट चैक की गई तो कोई कॉल करना नही पाया गया एवं वॉटसअप कॉल चेट चैक की गई तो दिनांक 08 जनवरी 2022, 16 जनवरी 2022 एवं 23 जनवरी 2022 को सैयद आमीर अली से वॉटसअप से बात करना पाया गया। श्री सैयद आमीर अली के मोबाईल नम्बर 8955228156(एयरटेल) को चैक कर कॉल डिटेल चैक की गई तो आरोपी श्री अजहर अहमद व सैयद आमीर अली की आपस में वार्तालाप करना नही पाया गया मोबाईल की वॉटसअप डिटेल चैक की गई तो दिनांक 09.03.2022 को समय 06.11 पीएम पर 22 सेकण्ड जरिये वॉटसअप कॉल पर आरोपी श्री सैयद आमीर अली व अजहर अहमद की आपस में वार्तालाप करना पाया गया। उक्त वार्तालाप के दोनो मोबाईलों से स्क्रीनशॉट लेकर कम्प्युटर के माध्यम से प्रिन्ट निकलवाई जाकर संबधितों के हस्ताक्षर कराये जाकर शामील पत्रावली किये गये। उक्त जरिये मोबाईल वॉटसअप वार्तालाप के बारे में श्री सैयद आमीर अली से पुछताछ की तो वह एकदम चुप रहा और कुछ नही बोला जिससे यह प्रमाणित है कि आरोपी श्री सैयद आमीर अली की परिवादिया श्रीमती अन्जुम से आरोपी श्री अजहर अहमद के माध्यम से रिश्वत राशि मांग व ग्रहण में पूर्णतया संलिप्तता पायी गई। समय 02.00 पीएम पर दौराने ट्रेप कार्यवाही परिवादिया श्रीमती अन्जुम, श्रीमती तब्बु व आरोपी श्री अजहर अहमद के रिश्वत लेन–देन के वक्त हुई वार्तालाप जिसे परिवादिया ने ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड की गयी हैं। ब्यूरो के टेप रिकोर्डर को लेपटॉप से कनेक्ट कर मूल सीडी एवं डब सीडी बनाई गई। मूल सी0डी0 परिवादी, आरोपी एवं गवाहानों के समक्ष सुना जाकर फर्द रिश्वत लेनदेन वार्ता श्री धीरेन्द्रसिंह कानि0 से मूर्तिब करा सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर मूल सीडी को एक कपडे की थैली में डालकर उस पर कागज की चीट लगाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर थैली को सीलचीट किया गया। प्रकरण में ब्यूरो मुख्यालय के निर्देशानुसार आरोपी श्री अजहर अहमद का नियमानुसार आवाज का नमूना माननीय न्यायालय के समक्ष प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी द्वारा लिया जायेगा। समय 04.00 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, दोनो स्वतत्र गवाहान, परिवादिया श्रीमती अन्जुम व तब्बु व आरोपी श्री अजहर अहमद तथा जरिये सरकारी वाहन बोलेरो मय चालक श्री जितेन्द्रसिंह के ब्यूरो इकाई बांसवाडा से घटनास्थल स्थल हेतु कलेक्ट्रेट परिसर बांसवाडा के लिये रवाना हुआ तथा श्री सैयद आमीर अली डिप्टी जेलर की निगरानी हेतु श्री महेश कुमार कानि. को निर्देशित किया गया। समय 04.05 पीएम पर ब्यूरो इकाई से रवानाशुदा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, परिवादिगण व आरोपी तथा दोनो स्वतंत्र गवाहान व सरकारी वाहन मय चालक के जिला कलेक्ट्रेट बांसवाडा पहूंच घटना स्थल का निरीक्षण किया जाकर फर्द घटनास्थल नक्क्षा मौका मुर्तिब किया जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर कर शामील पत्रावली किया गया तथा घटना स्थल से समय 04.40 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियानों के ब्यूरो इकाई बांसवाडा के लिये रवाना हुआ। समय 04.45 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, परिवादिगण व आरोपी तथा दोनो स्वतंत्र गवाहान व सरकारी वाहन मय चालक के जिला कलेक्ट्रेट बांसवाडा से रवानाशुदा ब्यूरो इकाई बांसवाडा पहूंचा। समय 05.00 पीएम पर आरोपी श्री अजहर अहमद वकील के कब्जे मिला मोबाईल फोन मय सिमकार्ड वास्ते वजह सबुत जप्त कर विस्तृत फर्द जप्ती मोबाईल मुर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 05.30 पीएम पर आरोपी श्री सैयद आमीर अली डिप्टी जेलर के कब्जे मिला मोबाईल फोन मय सिमकार्ड वास्ते वजह सबुत जप्त कर विस्तृत फर्द जप्ती मोबाईल मुर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 06.00 पीएम पर श्री मोहित बेग, श्री साहिल उर्फ लक्की, श्री सोहेब पठान अजखुद कार्यालय में उपस्थित आये व तीनों ने अपनी अपनी लिखित रिर्पोटे पेश कर बताया कि उन्हें अभी पता चला है कि बांसवाडा डिप्टी जेलर आमीर अली को रिश्वत के मामले में आपने पकडा है। हम तीनों भी अलग अलग मामलों में बांसवाडा जेल में थे तब हमें भी आमीर अली ने मारपीट की व प्रताडित किया तथा हमसे रिश्वत की मांग की थी तब हमने अपने परिवार वालों से बात कर आमीर अली जेलर को रिश्वत दी थी। तीनों के प्रार्थना पत्र शामील पत्रावली किये प्रकरण के अनुसंधान में इनके प्रार्थना पत्रों में अंकित तथ्यो पर अनुसंधान कर वस्तुस्थिति पता करना उचित रहेगा। समय 07.00 पीएम पर ट्रेप कार्यवाही के सम्पूर्ण हालात से आरोपी श्री अजहर अहमद द्वारा परिवादिया श्रीमती अन्जुम से रिश्वत राशि की मांग आरोपी श्री सैयद आमीर अली डिप्टी जेलर हेतु पाया गया है। अतः आरोपी श्री अजहर अहमद वकील को जुर्म अन्तर्गत धारा 7ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) एक्ट, 2018 एवं 120बी आईपीसी से आगाह कर जरिये फर्द नियमानुसार गिरफ्तार किया जाकर फर्द गिरफ्तारी मुर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 07.15 पीएम पर श्री सैयद आमीर अली डिप्टी जेलर बांसवाडा से पूछताछ की तो इसने पूर्व में बताये तथ्यों के अलावा और कोई नया तथ्य नही बताया अब तक की कार्यवाही से आमीर अली के विरुद्ध निम्न साक्ष्य आये है कि परिवादिया ने अपने लिखित प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि बांसवाडा जेल में बंद उनके रिश्तेदारों से आमीर अली द्वारा मारपीट की तथा जेल में उनसे काम करवाया व इनसे उनकी मुलाकात नही करवायी तब उन्होने इसके बारे में जानकारी की तो पता चला कि आमीर अली उसके मित्र श्री अजहर अहमद की मार्फत रुपयें लेता है तब उन्होने श्री अजहर अहमद से सम्पर्क किया तो उसने जेलर आमीर अली से बात कर बताया कि आमीर अली जेल में बंद रिश्तेदारों से मारपीट नही करने, जेल में काम नही करवाने व इनसे मिलने देने के लिये 30 हजार रुपये मांग रहा है। परिवादिया के इस तथ्य की पुष्ठि मांग

सत्यापन वार्ता के दौराना परिवादिया व श्री अजहर अहमद की वार्ता से होती है। अजहर अहमद इस वार्ता में स्पष्ट कह रहा है कि उसे कोई दलाली नही लेनी है आमीर अली उसका दोस्त व भाई जैसा है तथा वह आमीर अली को रुपये देकर हमारा काम करवायेगा। मांग सत्यापन वार्ता के दौरान श्री अजहर अहमद ने परिवादिया द्वारा रिश्वत राशि देने की सहमति देने के बाद परिवादिया के आमीर अली को फोन करने हेतु कहने पर आमीर अली को वॉटसअप कॉल किया तथा कहा कि साहब कहां जेल में ही हो तो फ्रि हो तो अभी पांचेक मिनट मिलना है आमीर अली द्वारा हां कहने पर कहता है कि ठिक है आया तथा यह कहता है कि दोनो के पुरे नाम लिख दो उसके बाद वह उनके नाम लिखता है। इस सत्यापन वार्ता के तुरन्त बाद शारिक को साथ लेकर श्री अजहर अहमद आमीर अली से मिलने जेल पर गया था। लेनदेन वार्ता के दौरान श्री अजहर अहमद परिवादिया से कहता है कि वह मिलकर आया है उनके साथ किसी ने मारपीट नही की है तथा आमीर अली के लिये कहता है कि उन्होने तो हाथ भी नही लगाया। इसके बाद कहता है कि वे तो आप लोगों से पैसे लेने के लिये तैयार भी नही था वो दुसरो से पैसे ले लूंगा लेकिन इन फैमेली वालों से पैसे नही लूंगा। क्योंकि उनको आप विश्वास नही है मेरे कहने से वो पैसे लेने के लिये राजी हुए है फिर पैसे लिफाफे में रखते हुए भी कहता है कि आज कल कोई पैसे हाथ में नही लेता है। परिवादिया द्वारा वार्ता के दौरान कहा कि उनकी एसटीडी बंद करवा दी है तो वह कहता है कि सामने वाले का फोन आ रहा है। उक्त दोनो वार्तालापो से स्पष्ट है कि श्री अजहर अहमद ने श्री आमीर अली को देने के लिये ही परिवादिया रिश्वत की मांग कर रिश्वत ली है। श्री सैयद आमीर अली के विरुद्ध सलूम्बर जेल में पदस्थापन के दौरान परिवादिया निशा सिंधी से जेल में बंद उसके पति को प्रताड़ित नही करने के लिये रिश्वत की मांग का प्रकरण संख्या 431/21 जूर्म अन्तर्गत 7 पीसी एक्ट(संशोधित) 2018 दर्ज होकर अनुसंधानाधीन है उस प्रकरण के अनुसंधान से भी श्री आमीर अली की यही कार्य प्रणाली सामने आई थी कि वह जेल में बंद कैदी को प्रताडित करते फिर परिजनो से सम्पर्क कराकर कैदी को प्रताडित नही करने के लिये रिश्वत की मांग कर रिश्वत लेते थे क्योंकि उनके विरुद्ध यह प्रकरण दर्ज होने के बाद उन्होंने रिश्वत की सीधी मांग नही कर अपने जानकार श्री अजहर अहमद के मार्फत रिश्वत की मांग की है इसमें भी वही कार्य प्रणाली अपनाई है। श्री आमीर अली व श्री अजहर अहमद के मोबाईलो में रिश्वत मांग सत्यापन 06.11 पीएम पर दोनो के बीच वार्ता हुई थी। श्री अजहर अहमद के वॉटसअप में दिनांक 08.01.2022 को आपस में चैट मौजूद है जिसमें कैदियों से मुलाकात जेल में बंद कैदियों की जमानत के लिये परिजनों से सम्पर्क करने आदि सें संबधित चैट है। इससे स्पष्ट है कि उन दोनो के बीच गहरे सम्पर्क थे तथा कैदियों संबधित वार्ताऐ होती थी। मांग सत्यापन वार्ता के दौरान भी सामान्य कॉल नही कर वॉटसअप कॉल से वार्ता की है जिससे भी स्पष्ट है कि इनकी दुर्रभावना थी। परिवादियाओं से रिश्वत का तय होने के बाद तुरन्त आमीर अली को कॉल करना फिर परिवादियों से कैदियों के नाम लेकर आमीर अली से मिलने जाना व लेनदेन वार्ता के दौरान आमीर अली से मिलकर आना, उसे रिश्वत लेने हेतु राजी करना व रिश्वत राशि लिफाफे में रखकर आमीर अली को देने की सतर्कता बरतना व अन्य कैदियों द्वारा भी आमीर अली विरुद्ध इसी तरह प्रताडित कर रिश्वत की मांग करने के तथ्यो से यह पूरी तरह स्पष्ट है कि श्री आमीर अली ने परिवादिया के परिजनो को रिश्वत हेतु प्रताडित किया फिर अपने खास जानकार अजहर अहमद की मार्फत रिश्वत की मांग की है तथा आमीर अली के विरुद्ध पूर्व में भी रिश्वत की मांग का प्रकरण दर्ज होने से श्री आमीर अली का पूर्व आचरण भी रिश्वत मांग का रहा है अतः श्री आमीर अली की श्री अजहर अहमद द्वारा परिवादिया से रिश्वत राशि की मांग कर रिश्वत लेने में पूरी संलिप्ता प्रमाणित है अतः श्री आमीर अली के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) एक्ट, 2018 एवं 120बी आईपीसी प्रमाणित है। अतः आरोपी श्री सैयद आमीर अली डिप्टी जेलर जिला काराग्रह बांसवाडा को जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) एक्ट, 2018 एवं 120बी आईपीसी से आगाह कर जरिये फर्द नियमानुसार गिरफ्तार किया जाकर फर्द गिरफ्तारी मुर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 08.45 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, दोनो स्वतंत्र गवाह, आरोपी श्री सैयद आमीर अली व ब्यूरो जाप्ता श्री धीरेन्द्रसिंह कानि. मय सरकारी वाहन बोलेरों व चालक श्री जितेन्द्रसिंह के ब्यूरो इकाई बांसवाडा से आरोपी के जेल परिसर स्थित सरकारी आवास की खानातलाशी हेतु रवाना हुआ। आरोपी श्री अजहर अहमद की निगरानी हेतु श्री महेश कुमार कानि. को मामूर किया गया। समय 08.55 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, दोनो स्वतंत्र गवाहान व आरोपी सैयद आमीर अली मय ब्यूरो जाप्ता व सरकारी वाहन मय चालक के ब्यूरो इकाई से रवानाशुदा काराग्रह बांसवाडा पहूंच आरोपी के सरकारी आवास की खानातलाशी ली जाकर फर्द खाना तलाशी मूर्तिब कर शामील पत्रावली की गई। समय 10.00 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियानों के जरिये सरकारी वाहन बोलेरों बाद खाना तलाशी के जिला काराग्रह बांसवाडा से ब्यूरो इकाई के लिये रवाना हुआ। समय 10.15 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियानों के मय सरकारी वाहन बोलेरो व चालक के जिला काराग्रह बांसवाडा से रवानाशुदा ब्यूरो इकाई बांसवाडा पहूंचा। समय 10.30 पीएम पर श्री मानसिंह बारेठ जेलर जिला जेल बांसवाडा हाल कार्यवाहक उप अधीक्षक जिला काराग्रह बांसवाडा उपस्थित आये जिन्होने परिवादिया के पति समीर खान व रिस्तेदार जाहिद अहमद व जुनैद मोहम्मद मंसूरी के जिला काराग्रह बांसवाडा में विचाराधीन बंदी होना बताया तथा इन बंदियों से संबधित रिकोर्ड तीनों के माननीय न्यायालय के न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के आदेशो की प्रमाणित प्रतियां, तीनो बंदियों के दिनांक 07.03.2022 को जिला काराग्रह में जमा होने का रिकोर्ड, विचाराधीन बंदियों के रजिस्टर, तीनो बंदियो की दिनांक 07.03.2022 को जमा होने की रसीद की प्रमाणित प्रतियां पेश की व बताया कि उक्त तीनों बंदी दिनांक 07.03.2022 को माननीय अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट बांसवाडा के आदेश से जिला काराग्रह बांसवाडा में जमा हुए जो आज दिनांक तक जिला काराग्रह में निरन्तर बंद है। समय 11.15 पीएम पर आरोपीगण श्री सैयद आमीर अली व श्री अजहर अहमद का मेडिकल ज्युरिस्टर से स्वास्थ्य परीक्षण कराने हेतु आरोपी के हमराह श्री माजिद खान कानि एवं श्री महेश कुमार कानि. व जितेन्द्रसिंह कानि0 चालक मय सरकारी वाहन बोलेरो के ब्यूरो इकाई बांसवाडा से रवाना किया गया। समय 11.50 पीएम पर आरोपीगण श्री सैयद आमीर अली व श्री अजहर

अहमद एवं ब्यूरो जाप्ता श्री माजिद खान कानि एवं श्री महेश कुमार कानि. व जितेन्द्रसिंह कानि0 चालक मय सरकारी वाहन बोलेरो के ब्यूरो इकाई, बांसवाडा हाजिर आये। श्री माजिद खान कानि. द्वारा आरोपीगण का मेडिकल ज्युरिस्टर से कराया गया स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसे शामिल पत्रावली किया गया। दिनांक 11.03.2022 समय 03.15 एएम पर श्री माजिद खान कानि. एवं श्री महेश कुमार कानि. मय सरकारी बोलेरो मय चालक श्री जितेन्द्रसिंह को आरोपीगण श्री सैयद आमीर अली व श्री अजहर अहमद को सुरक्षा की द्वष्टि से बन्द हवालात पुलिस थाना कोतवाली जिला बांसवाडा में जमा कराने हेतु मुनासिब हिदायत के रवाना किया गया। समय 04.00 एएम पर श्री माजिद खान कानि. एवं श्री महेश कुमार कानि. मय सरकारी बोलेरो मय चालक श्री जितेन्द्रसिंह ब्यूरो इकाई, बांसवाडा हाजिर आये। श्री माजिद खान कानि. द्वारा आरोपीगण के पुलिस थाना कोतवाली बन्द हवालात की मुल्जिम जमा प्राप्ति रसीद एवं रोजनामचा आम की रपट की प्रति प्रस्तुत की गई जिसे शामिल पत्रावली किया गया। समय 08.30 एएम पर आरोपीगण श्री सैयद आमीर अली व श्री अजहर अहमद को पुलिस थाना कोतवाली से प्राप्त कर आरोपी के राजकीय महात्मा गांधी चिकित्सालय बांसवाडा से कोरोना की जांच कराने हेतु श्री गणेश प्रसाद हैड0 कानि0 व श्री धीरेन्द्रसिंह कानि0 मय सरकारी बोलेरो मय चालक श्री जितेन्द्रसिंह के मुनासिब हिदायत के रवाना किया गया। समय 11.00 एएम पर पुलिस थाना कोतवाली जिला बांसवाडा में बन्द हवालात आरोपीगण श्री सैयद आमीर अली व श्री अजहर अहमद को प्राप्त कर राजकीय चिकित्सालय बांसवाडा से कोरोना जांच कराई जाकर आरोपीगण एवं मय ब्यूरो जाप्ता व सरकारी वाहन के हाजिर ब्यूरो इकाई बासंवाडा आये। हैड0कानि0 श्री गणेश प्रसाद ने बताया कि आरोपीगण की कोरोना जांच कराई गई तो रिपोर्ट नगेटिव प्राप्त हुई हैं। पुलिस थाना कोतवाली जिला बांसवाडा से आरोपी पटवारी को प्राप्त करने की रोजनामचा आम रपट एवं कोरोना जांच नेगेटिव रिपोर्ट शामिल पत्रावली किया गया। प्रकरण में आज दिनांक 11.03.2022 को आरोपीगण श्री सैयद आमीर अली डिप्टी जेलर एवं श्री अजहर अहमद को माननीय एसीबी कोर्ट उदयपुर में दरख्वास्त मोहलत के साथ न्यायिक अभिरक्षा भेजने हेतु पेश किया जायेगा।

प्रकरण में परिवादी द्वारा पेश लिखित रिपोर्ट, फर्द ट्रांसकिप्शन रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता, फर्द पेशकशी एवं सुपूर्दगी नोट एवं दृष्टान्त फिनॉफ्थेलीन पाउडर, फर्द बरामदगी रिश्वत राशि एवं हाथ धुलाई, फर्द नक्शा मौका घटनास्थल रिश्वत राशि ग्रहण, फर्द रिश्वत लेनदेन वार्ता, फर्द जप्ती मोबाईल तथा प्रकरण की समस्त परिस्थितियों से पाया गया कि आरोपीगण श्री सैयद आमीर अली एवं अजहर अहमद ने आपस में मिलीभगत कर जेल बांसवाडा में बंद कैदी परिवादिया श्रीमती अन्जुम के पति समीर खान एवं परिचित जुनैद खान को जेल में मारपीट नही करने, कोई काम नही करवाने तथा परिजनों से जेल में मिलाने हेतु 30 हजार रुपये की रिश्वत आरोपी श्री सैयद आमीर अली द्वारा आरोपी श्री अजहर अहमद के माध्यम से मांग कर दिनांक 09.03.2022 को रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान 10 हजार रुपये रिश्वत के ग्रहण किये तथा 20000 रुपये रिश्वत मांगने की पुष्टि होने पर दिनांक 10.03.2022 को आरोपी श्री अजहर अहमद को परिवादिया श्रीमती अन्जुम से रिश्वत राशि 20 हजार रूपये लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया हैं तथा आरोपी श्री सैयद आमीर अली को भी डिटेल कर बाद पुछताछ उसे भी गिरफ्तार किया गया। आरोपीगण श्री सैयद आमीर अली डिप्टी जेलर एवं श्री अजहर अहमद वकील के विरुद्ध जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) एक्ट, 2018 व 120बी भा.द.स. का अपराध प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित है।

अतः आरोपीगण श्री सैयद आमीर अली पिता स्व. श्री सैयद महमूद अली उम्र 29 वर्ष जाति मुसलमान निवासी सी.–26 जवाहरनगर प्रतापगढ़ हाल डिप्टी जेलर जिला कारागृह बांसवाडा एवं श्री अजहर अहमद पिता श्री जाहिद अहमद उम्र 33 वर्ष जाति मुसलमान निवासी इन्द्रा कोलोनी थाना कोतवाली जिला बांसवाडा पेशा वकील(प्राईवेट व्यक्ति) के विरूद्व जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) एक्ट, 2018 व 120बी भा.द.स. में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते कमांकन हेतु श्रीमान् महानिदेशक महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर की सेवामें प्रेषित हैं।

भवदीय,

(माधोसिंह)
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,
भ्रनिब्यूरो, बांसवाडा

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री माधोसिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बांसवाड़ा ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भादंसं में आरोपीगण 1. श्री सैयद आमीर अली, डिप्टी जेलर, जिला कारागृह बांसवाड़ा एवं 2. श्री अजहर अहमद पिता श्री जाहिद अहमद निवासी इन्द्रा कॉलोनी, पुलिस थाना कोतवाली, जिला बांसवाड़ा पेशा वकील(प्राईवेट व्यक्ति) के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 87/2022 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

11.3.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांकः- 776-80 दिनांक 11.3.2022

प्रतिलिपिः- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, उदयपुर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. महानिदेशक एवं महानिरीक्षक, कारागार राजस्थान, जयपुर।
4. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बांसवाड़ा।

11.3.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।